संख्या-1304/XVIII(II)/2013-1(72)/2009

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 8-5-2013

विषय— मै0 एग्रो गोल्डविन एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज को ग्राम नया गांव चन्दनपुर, तहसील कालाढुंगी, जिला नैनीताल में एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु शासनादेश सं0-21/XVIII(II)/2011-1(72)/09 दि0-9.9.2011 द्वारा दी गई कुल 0.253 है0 भूमि क्रय की अनुमति के क्रम में उक्त भूमि के क्रय हेतु अंतिम रूप से छः माह का समय प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-21/XVIII(II)/2011-1(72)/2009 दि0-9.9.2011 एवं श्री स्वर्णजीत सिंह, 120 बी, सिंगल स्टोरी, रमेश नगर, नई दिल्ली-11005 के प्रार्थना पत्र दि0-3.8.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 एग्रो गोल्डविन एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज को ग्राम नया गांव चन्दनपुर, तहसील कालाढुंगी, जिला नैनीताल में एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु उक्त शासनादेश दि0-9.9.2011 द्वारा स्वीकृत कुल 0.253 है0 भूमि क्रय किये जाने हेतु, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 विषयक अधिसूचना सं0-95/18(2)/2010 दि0-11.1.2010 के नियम 116 ट के उपबन्ध के अधीन इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से अंतिम रूप से छः माह का समय प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही एवं शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0-1304/समदिनांकित 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5— श्री स्वर्णजीत सिंह, 120 बी, सिंगल स्टोरी, रमेश नगर, नई दिल्ली-11005
6— निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।